न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बरेली।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2191/2026
CNR No-UPBR01-007251-2026

रामदास पुत्र जीवन लाल,
निवासी ग्राम जोगीठेर थाना सी०बी०गंज, जिला बरेली।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

एवं

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2214/2026
CNR No-UPBR01-007303-2026

नन्होरी उर्फ हरीश कुमार पुत्र रामदास,
निवासी ग्राम जोगीठेर थाना सी०बी०गंज, जिला बरेली।

अपराध संख्या-153/2026
अन्तर्गत धारा-131, 115(2), 118(1), 103(1), बी०एन०एस०
थाना-सी०बी०गंज, जनपद-बरेली।

दिनांक-11.06.2026

1. थाना सी०बी०गंज, जिला बरेली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-153/2026, अन्तर्गत धारा- 131, 115(2), 118(1), 103(1), बी०एन०एस०, में आवेदकगण **रामदास** एवं **नन्होरी उर्फ हरीश कुमार** की ओर से प्रथम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित हैं।

2. दोनों जमानत प्रार्थना पत्र एक ही मुकदमा अपराध संख्या एवं एक ही घटना से सम्बन्धित होने के कारण दोनों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

3. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदकगण को रंजिश के विनाह पर झूठा फंसा दिया गया है वह पूर्णतः निर्दोष है। आवेदक ने वादी के साथ कोई मारपीट नहीं की थी। वादी को अस्पताल में रहने के दौरान बीमारी से 8-10 दिन के बाद प्राइवेट अस्पताल में मौत हो गयी। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। मुकदमें का वादी अपराधी किश्म का व्यक्ति था इस पर

अनेकों मुकदमें विचाराधीन है। अभियुक्तगण मजदूरी करते हैं। आवेदकगण जिला कारागार में निरुद्ध हैं।

4. आवेदकगण की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि मृतक का लम्बा आपराधिक इतिहास है वह शराब पीने का आदी है। शराब के नशे में ही झगड़ा होना सम्भावित है। नन्होरी के कब्जे से लाठी की बरामदगी दिखायी गयी है।

5. वादी के विद्वान अधिवक्ता की सहायता से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मामले में मृतक और अभियुक्तगण के विरुद्ध रंजिश विवादित नहीं है। घटना से पूर्व मृतक को नन्होरी द्वारा शराब पीने के कारण उसे मारा पीटा था। उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए दोनों अभियुक्तगण द्वारा मृतक पर हमला किया गया। घटना के चश्मदीद साक्षी के अनुसार मृतक ने सिर पर मारने के लिए मना किया था लेकिन इसके बावजूद आवेदकगण द्वारा मृतक के सर पर वार किये गये। उसके गिर जाने पर भी उसको लाठी डंडों से लगातार मारा गया। दोनों ही आवेदकगण से पृथक-पृथक आला कत्ल लाठी डंडे बरामद हुए हैं। मृतक को चोटें किसी भी प्रकार से स्वयं के किसी भी सतह पर गिरने से नहीं आ सकती है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत निरस्त की जाये।

6. जवाबुल बहस में आवेदकगण की तरफ से यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त रामदास 65 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है वह लाठी नहीं चला सकता। घटनास्थल के पास सी०सी०टी०वी० कैमरा लगे हैं जिसकी साक्ष्य संकलित नहीं की गयी है। यह भी सम्भव है कि मृतक सड़क पर कहीं गिर गया उससे उसके चोटे आयी रंजिश की वजह से आवेदकगण को फंसाया गया है। अतः जमानत स्वीकार की जाये।

7. मैंने उभय पक्ष के तर्कों को विस्तार से सुना तथा समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

8. अभियोजन के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट इस कथानक के साथ दर्ज की गयी है कि दिनांक 19.04.2026 रात 9 बजे लगभग गांव के ही रामदास व नन्होरी ने पुरानी रंजिश के चलते वादिनी के पुत्र हरिओम पर लाठी डंडो व धारदार हथियार से जान लेवा हमला करके गम्भीर रूप से घायल कर दिया।

9. मृतक हरिओम के चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसके सर पर सामने की ओर मस्तक पर 4.5 सेमी. X 0.5 सेमी. हड्डी तक गहरा फटा हुआ घाव पाया गया जिसके किनारे असमान्य थे। सिर पर ही दूसरी चोट 2 X 2 सेमी. की लाल रंग के नीलगू निशान की पायी गयी।

10. शव परीक्षण आख्या के अनुसार मृतक के सर पर वायी ओर 21 सेमी. X 0.5 सेमी. का वृत्तीय आकार में 23 टाकों से सिला हुआ घाव जो कि वायी भौं से 3 सेमी. और वाये कान के पिन्ना के ऊपर 1 सेमी. तक पाया गया। इसके अलावा दूसरा घाव 6 सेमी. X 0.5 सेमी. का 7 टांकों से सिला हुआ घाव सर के वायी तरफ पाया गया, जिसके नीचे सर की खोपड़ी टूटी हुई पायी गयी। तीसरा घाव वायी आंख पर 5 सेमी. X 3 सेमी. के नीलगू निशान और दाहिनी आँख पर 4 X 3 सेमी. नीलगू निशान पाया गया। चिकित्सक की राय में मृतक की मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व चोटों की वजह से रक्त स्राव सदमा और कोमा है।

11. शव परीक्षण आख्या में वर्णित उपरोक्त चोटों के शरीर पर स्थान, आकार व प्रकार के आधार पर ही यह तर्क दिया गया है कि मृतक के चोटें किसी भी कोण से किसी भी प्रकार की सतह पर किसी भी सतह से स्वयं गिरने से नहीं आ सकती है बल्कि उक्त चोटें सा उद्देश्य कारित गम्भीर चोटें कारित करने हेतु कुन्दआलय से मारपीट करने पर ही आ सकती है।

12. दौरान विवेचना अभियुक्त नन्होरी की निशान देही पर आला कत्ल बरामद बताये गये हैं। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा चश्मदीद साक्षी के रूप में ओम प्रकाश पुत्र इन्द्रपाल, इन्द्रपाल पुत्र जालिम कश्यप के बयान दर्ज किये गये हैं, जिनके बयानों में आवेदकगण द्वारा मृतक के सर पर लाठी डंडों से प्रहार करना और उक्त घटना के स्वयं देखने के कथन अंकित किये हैं।

13. उपरोक्त समस्त परिस्थितियों पर सम्यक् रूप से विचारोपरान्त घटना में आवेदकगण की अभिकथित भूमिका शव परीक्षण आख्या में मृतक के सर पर पायी गयी चोटें एवं उसकी प्रकृति के दृष्टिगत यह न्यायालय इस मत की है कि आवेदकगण की जमानत स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

I. आवेदकगण **रामदास** एवं **नन्होरी उर्फ हरीश कुमार** का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

II. आदेश की एक-एक प्रति जमानत प्रार्थना पत्र सं०-2214/2026 एवं रिमाण्ड/विचारण पत्रावली में रखी जाये।

दिनांकः 11.06.2026

(प्रदीप कुमार सिंह-II)
आई.डी.यू.पी.1905
सत्र न्यायाधीश,
बरेली।

Digitally signed by PRADEEP KUMAR SINGH
Date: 2026.06.12 10:11:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court